BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 17 मई 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 1,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त गफ्फार खां पुत्र जलीश अहमद निवासी नगलिया नारायणपुर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी तरन्नुम खातून की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.06.2018 को थाना अरनिया पर मुअसं-161/2018 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 11.10.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 17.05.2025 को न्यायाधीश श्री शिवानन्द (मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गफ्फार खां को 07 वर्ष का कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, का0 अनुराग पांडे पैरोकार थाना अरनिया व है0का0 इमरान कोर्ट महोरिर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर ।